

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-8)


क्रमांक :- प 5(16)ग्रावि/अनु.8/सीईओ मीटिंग/2018

जयपुर, दिनांक :- 11/07/18 JUL 2018

बैठक स्थगन सूचना

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा हेतु दिनांक 17.07.2018 को समस्त विकास अधिकारियों की बैठक अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है। दिनांक 16.07.2018 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की बैठक यथावत आयोजित होगी।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त से निवेदन है कि अच्छी प्रगति वाली पंचायत समिति का नाम एवं विकास अधिकारी का विवरण जो दिनांक 10.07.2018 तक चाहा गया था। दिनांक 12.07.2018 तक अपनी पीपीटी की सूचना (सॉफ्ट कॉपी) के साथ आवश्यक रूप से भिजवाने का कष्ट करें। जिससे भविष्य में प्रस्तावित बैठक से पूर्व ही सूचना संकलित हो सके।



(हितबल्लभ शर्मा)
परि. निदे. एवं उप सचिव
(मो. एवं मू.)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज।
5. निजी सचिव, आयुक्त, महानरेगा।

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भूसंरक्षण विभाग।
2. निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण।
3. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास।
4. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास/पंचायतीराज/महानरेगा।
5. परियोजना निदेशक एवं उप सचिव, एसएपी-I एवं II/मो. एवं मू./एमई।
6. अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास।
7. जिला कलेक्टर, समस्त।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त, राजस्थान को भेजकर लेख है कि उक्त बैठक स्थगन की सूचना से आप के अधीन समस्त विकास अधिकारियों को अवगत करावें।
9. अति. निदेशक, इंदिरा गांधी पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर।
10. संयुक्त निदेशक (मोनेटरिंग), पंचायतीराज विभाग।
11. अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन द्वितीय), पंचायती राज।
12. उप निदेशक (प्रचार), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
13. एसीपी/प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को पत्र विभागीय वेबसाइट www.rdprd.gov.in पर अपलोड करने हेतु।
14. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त राज।


परि. निदे. एवं उप सचिव
(मो. एवं मू.)